राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5928/2022

रविन्द्र कुमार मीणा (कर्मचारी आई.डी.– आरजेडीएच201714044091)

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर, राज.।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, धौलपुर, राजस्थान।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बरी, जिला धौलपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.11.2022
आदेश की दिनांक : 19.12.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अजय गढवाल, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी अध्यापक स्तर द्वितीय विज्ञान–गणित के पद पर दिनांक 22.11.2017 को कार्य ग्रहण किया था। इससे पूर्व अपीलार्थी स.उ.नि./का, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, बंगलौर अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बंगलौर, गृह मंत्रालय भारत सरकार के वेतन मान PB&1 (5200&20200) GP&2800 Pay Matrix 35900/& (L-9) पर कार्यरत था। दिनाँक 16–11–2017 को कार्यालय वरिष्ठ कमांडेट/कासो, बंगलौर अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बंगलौर (कर्नाटक) के पत्रांक क्रमांक E&28020/CISF/KIA/PEN/TECH. RES/2017-12351 दिनाँक 16–11–2017 के तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बडापुरा, टोंटरी, बाड़ी, धौलपुर (राजस्थान) के लिये रिलीव किया गया था। Relieving से पूर्व अपीलार्थी का अन्तिम आहरण वेतन Pay Matrix L-9 में 35900/– रुपये था। अपीलार्थी के

अधिवक्ता का तर्क है कि दिनांक 22.11.2017 से 36400/– (लेवल–9) के अनुसार वेतन प्रदान किया जाए।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)